पूर्वी राजस्थान में सामाजिक चेतना के विकास में स्त्री सहभागिता (सन् 1920–1947 तक का अध्ययन)

डॉ स्मिता मिश्रा
बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय,
अलवर (राजस्थान) भारत

शोध सारांश

ब्रिटिश आगमन से पूर्व पूर्वी राजस्थान में परम्परागत सामाजिक ढाँचा यथावत बना रहा था। मध्य युग में मुस्लिम आक्रान्ताओं के व्यापक आक्रमणों से महिलाओं को बचाने के लिऐ कई तात्कालिक निर्णय लिये गये जैसे पर्दा प्रथा, बाल विवाह, कन्या वध तथा सती प्रथा आदि। इन सब स्थितियों के बाद भी मध्ययुगीन भारतीय स्त्रियों को युरोपीय स्त्रियों की तुलना में अधिक स्वायत्तता तथा अधिकार प्राप्त थे। 'प्रशासनिक सहयोग के लिए रानियाँ अपनी जागीरों में कर्मचारियों की नियुक्ति करती थीं। राजघरानों में महिलाओं के सैनिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की थी। 20वीं शताब्दी में राजनीति व प्रशासन में सम्मानित राजमाताओं तथा रानियों आदि के परम्परागत अधिकारों को समाप्त करने या उन अधिकारों में कटौती करके उनके हक में सेंध लगाई 19वीं शता$_0$ के उत्तरार्द्ध तथा 20वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में नयी ब्रिटिश आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक व्यवस्थाओं ने समाज में महत्वपूर्ण हलचल पैदा की। पूर्वी राजस्थान में गांधीयुग में जनचेतना का उदय तथा जन सहभागिता का ऐतिहासिक दृष्टि से विशिष्ट स्थान है। पूर्वी राजस्थान की चार रियासतें अलवर तथा करौली में राजपूत वंश तथा भरतपुर और धौलपुर में जाटवंश के शासक थे। चारों ही रियासतों में राजशाही थी। ब्रिटिश आगमन के पश्चात् ये चारों राज्य सहायक संधियों के माध्यम से ब्रिटिश सत्ता के प्रत्यक्ष प्रभाव में आ गये। इस प्रकार यहाँ 'दोहरी दासता' का युग प्रारंभ हो गया। प्रथम राजशाही तथा द्वितीय ब्रिटिश सत्ता।

I मध्ययुगीन महिलाओं की स्थिति

ब्रिटिश आगमन से पूर्व पूर्वी राजस्थान में परम्परागत सामाजिक ढाँचा यथावत बना रहा था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी। परिवार का मुखिया यद्यपि परिवार का सबसे वृद्ध पुरूष होता था किन्तु विभिन्न सामाजिक धार्मिक कार्यों में उसकी पत्नी के निर्णयों की अहमियत भी रहती थी। मध्य युग में मुस्लिम आक्रान्ताओं के व्यापक आक्रमणों से महिलाओं को बचाने के लिऐ कई तात्कालिक निर्णय लिये गये जैसे पर्दा प्रथा, बाल विवाह, कन्या वध तथा सती प्रथा आदि। इन तात्कालिक निर्णयों का दूरगामी प्रभाव पड़ा और ये निर्णय विकृत प्रथाओं में बदलते चले गये। फलस्वरूप महिलाओं की स्थिति में गिरावट आयी।[1] राजपूतों में विवाह के दौरान राजकुमारियों के साथ दास–दासियाँ दहेज में जाती थी। इस प्रकार प्राप्त दासियाँ 'डावड़ी' कहलाती थी, जो आगे चलकर 'डावड़ी प्रथा' के रूप में प्रचलित हुई।[2] बहुविवाह के परिणाम स्वरूप 'सति प्रथा' उभर कर आयी राजा की मृत्यु के पश्चात् 'सति' होने पर महिमा मंडित किया जाने लगा।[3, 10]

इन सब स्थितियों के बाद भी मध्ययुगीन भारतीय स्त्रियों को युरोपीय स्त्रियों की तुलना में अधिक स्वायत्तता तथा अधिकार प्राप्त थे।' जैसे पूर्वी राजस्थान के राज्य भरतपुर में 1784 में राजा सूरजमल की रानी किशोरी ने रणजीत सिंह के नाबालिग होने की स्थिति में राज्य कार्यों पर नियंत्रण रखा।[3] परम्परागत सामंती मूल्यों के अन्तर्गत राजमाता की स्थिति अन्य रानियों से उच्च होती थी। राजमाताओं को सामान्तों एवं राज्याधिकारियों का पूर्ण समर्थन प्राप्त था। राज्यों में जनानी ड्योठी की मांजी, महारानी, रानी, बाई साहब, पासवान, पड्यायत(उपपत्नियाँ), बड़ारण(मुख्य–दासी) आदि समस्त महिलाओं को खर्च के रूप में निश्चित राशि तथा जागीरे, उनके पद तथा स्थिति के अनुसार दी जाती थीं। प्रशासनिक सहयोग के लिए रानियाँ अपनी जागीरों में कर्मचारियों की नियुक्ति करती थीं। कई बार रानियाँ अपनी निजी आय से मंदिर, तालाब, दानपुण्य एवं त्यौहारों पर खर्च करती थी।[4] रानियों को अपनी जागीरों में दीवानी तथा फौजदारी के अधिकार प्राप्त थे। सामन्त परिवारों में भी ठकुरानियों के विशेषाधिकार थे।[5] जनानी ड्योढी की व्यवस्था, जागीर में मिले गाँवों का प्रबंध आय–व्यय का ब्यौरा तथा ऋण की अदायगी संबंधी पत्र एवं दस्तावेज यह प्रमाणित करते है कि इस काल में उच्च घराने में स्त्रियों में प्रशासनिक एवं शैक्षणिक योग्यता थी। शैक्षणिक योग्यता की दृष्टि से अलवर नरेश बन्नेसिंह की पटरानी आनन्द कंवर राणावत ने 'आनन्द सागर' तथा भरतपुर राज्य के महाराजा बलदेव सिंह की रानी अमृतकौर ने चतुरप्रिया उपनाम से 'गीतकाव्य' तथा भक्तिरस पदों की रचना की थी।[6] राजघरानों में महिलाओं के सैनिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की थी। करौली की कच्छवाही रानी की 1200 सैनिकों की अपनी टुकड़ी थी।[7] जनसामान्य वर्ग की महिलाएँ भी समस्त गतिविधियों में सहयोगी के रूप में जुड़ी हुई थी। घरेलू शिक्षा, सिलाई–कढ़ाई, पाक–कला, धार्मिक शिक्षा, अक्षरज्ञान प्रायः घर पर ही सिखाये जात थे।[8]

II ब्रिटिश साम्राम्ज्यवाद का प्रवेश तथा महिलाओं के परम्परागत अधिकारों का हनन

20वीं शताब्दी में राजनीति व प्रशासन में सम्मानित राजमाताओं तथा रानियों आदि के परम्परागत अधिकारों को समाप्त करने या उन अधिकारों में कटौती करके उनके हक में सेंध लगाई गई जागीर प्रशासन एवं आर्थिक स्वायत्तता के अधिकर के बदले अंग्रेजों ने नकद धनराशि तय कर रानियों के अधिकारों में कमी

कर दी। इसके चलते 1914 में अलवर राज्य की महारानी रूपकुंवर को जागीर आय के बदले 20,000 रूपयें नगद देना तय किया।[0] वहीं राजमाता को जागीर के बदले 18,000रू. नगद देना तय किया।[10] 1937 में अलवर रेजीडेन्ट ने महाराजा को राठौड़ रानी व अन्य रानियों की जागीरों में कमी कर दी।[11] भरतपुर में भी महाराजा ब्रजेन्द्रसिंह की जनानी ड्योठी की आमदनी राजस्व विभाग में सम्मिलित कर खजाने से धनराशि देने की व्यवस्था की।[12] 19वीं शताब्दी तक महारानी इत्यादि की मृत्यु पर पोलिटिकल ऐजेन्ट स्वयं जाकर शोक संदेश दे शिष्टाचार निभाते थे, किन्तु 1922 में केवल महत्वपूर्ण महिलाओं तक इसे सीमित कर दिया गया।[13] यह भी कहा गया कि शासकों की उन्हीं पत्नियों की मृत्यु पर शोक संदेश भेजा जाएगा, जिनकी कोई विशेष सामाजिक अथवा राजनीतिक भूमिका रही हो।[14] रानियों से दुर्व्यवहार भी किया गया, जैसे महाराज किशनसिंह की मृत्यु के बाद विधवा रानी से कई गाँव छीन लिये जो उनकी जागीर का हिस्स थे।[15] यही नहीं रानी की मृत्यु के बाद गंगा में अस्थि प्रवाहित करने हेतु वाहन भी नहीं दिया गया।[16] 'द स्टेट वीकली' नामक अखबार नें इसे राज्य की पूरी स्त्री जाति का अपमान तथा राजवाड़ों की व्यवस्था पर प्रहार बताया।[17] यानि इस काल में राज परिवार की महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक अधिकारों का शोषण भरपूर मात्रा में किया गया।

III 20वीं शताब्दी में महिलाओं की स्थिति

20वीं शताब्दी के द्वितीय दशक के बाद प्रगतिशील तथा आधुनिकता के शौक के चलते कुछ रानियॉ यूरोप यात्रा पर गयी, जिनमें भरतपुर महाराज किशनसिंह की माताजी भी शामिल थी। 1914 में अपनीं इंग्लैण्ड की यात्रा के दौरान राजमाता ने 10,328 युद्धकोश में, 5000रू लेडी चेम्सफोर्ड मातृ शिशु कल्याण योजनराओं में तथा 1916 में 2500 रू. युद्धकोष की सहायतार्थ दिए, फलस्वरूप अंग्रेजों ने उन्हें सी.आई की उपाधि प्रदान की।[18] अंग्रेजी तौर तरीकों से अभिभूत शासकों के साथ अब रानियॉ भी सार्वजनिक दावतों में जाने लगी। अंग्रेजी भाषा सीखने पढ़ने लगी। जानानी ड्योढी से निकल अंग्रेजी महिलाओं से रानियों की दोस्ती होने लगी। श्रीमती मार्टिन महारानी जयसिंह की सहेली थी।[19] 20वीं शताब्दी में सत्तासीन परिवारों की महिलाओं में नये परिवेश के प्रति झुकाव और आर्थिक अधिकरों में स्वायत्ता तथा सामाजिक जीवन में सक्रियता पुनः दिखाई देने लगी।

19वीं के उत्तरार्द्ध तथा 20वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में नयी ब्रिटिश आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक व्यवस्थाओं ने समाज में महत्वपूर्ण हलचल पैदा की। इस युग में महिलाऍ प्रत्यक्ष समाजिक, आर्थिक, नीतियों से नहीं जुड़ी थीं, तथापि सहायक के रूप में पारिवारिक रोजगार तथा सामाजिक निर्णयों से जुड़ी हुई थीं। आर्थिक दृष्टि से महिलाऍ आत्मनिर्भर नहीं थीं। जो व्यवसाय से जुड़ी थीं, उनका स्वतंत्र व्यावसायिक अस्तित्व नहीं था। तथा जिन व्यवसायों में महिलाओं की संख्या यानि भागीदारी अधिक थी, वहॉ पुरूष वर्ग कार्य करना पसंद नहीं करते थे।

20वीं शताब्दीं के तीसरे दशक तक आते आते करौली राज्य में 145 महिलाएँ राजकीय सेवा में दर्ज की गई। जो महलों में नौकरानियॉ थी।[20] कुछ धनी महाजन स्त्रियों का उल्लेख भी मिलता है, जो गुमाश्तों के जरिए अपना धन उधार देती थी। छोटी महाजन स्त्रियॉ सारा हिसाब खुद रखती थीं, ये व्यवहारिक गणिम में अति कुशल थी। उच्च वर्ग की महिलाओं की तरह प्रमुख महाजन स्त्रियों को पैर में सोना पहनने की अनुमति भी मिली थी।[21]

19वीं तथा 20वीं शताब्दी में सामाजिक पुनर्जागरण की लहर ने राष्ट्रीय आन्दोलन में महिलाओं के उत्पान एवं सहभागिता पर बल दिया। नयी शिक्षा पद्धति आदि कारकों के चलते मध्यम वर्ग की महिलाओं में वर्ग चेतना तथा महिला अधिकारों के प्रति सजगता आयी। परिणामस्वरूप शिक्षित विदुषी महिलाओं ने इस काल में भाषण तथा लेखन के जरिए राष्ट्रीय आन्दोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सार्वजनिक रूप से महिलाओं के राष्ट्रीय आन्दोलन में जुड़ने से एक तरफ पर्दा प्रथा में लचीलापन आया, दूसरी तरफ महिलाओं की उक्त नवोदित भूमिका को सामाजिक स्वीकृति तथा प्रतिष्ठा मिली। महिलाओं के इस शिक्षित वर्ग ने स्त्रियों में अधिकरों के प्रति सजगता पैदा करने की दृष्टि से, पूर्वी राजस्थान में महिला संगठन भी बनाए। अतः पूर्वी राजस्थान में सामाजिक चेतना के उदय एवं विकास की सहयात्रा में सामाजिक रूपान्तरण की प्रक्रिया साथ–साथ चली।

IV समाजिक चेतना एवं महिलाओं की भागीदारी

तत्कालीन समय में पूर्वी राजस्थान में जहाँ ब्रिटिश साम्राज्यवाद तथा राजशाही की दोहरी मार थी, वहाँ गाँधीयुगीन चेतना का विकास और इसमें महिलाओं की सहभागिता एक विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण ऐतिहासिक महत्व रखती है। 1938 में पूर्वी राजस्थान में प्रजामंडल तथा प्रजापरिषदों की स्थापना के साथ ही महिलाओं को अपने जन आन्दोलन से जोड़ने का प्रयास गांधीवादी नेतृत्व का प्रमुख उद्देश्य रहा। उदाहरण के लिए अलवर राज्य में 1938 में प्रजामण्डल की स्थापना के तुरन्त बाद हुई बैठक की अध्यक्षता सुशीला देवी ने की थी। इसी प्रकार 15 मार्च 1938 में तथा 9 अप्रैल 1938 को पुरजन विहार में आयोजित जन सभाओं में भी सुशीलादेवी ने शिक्षा के महत्व, खादी प्रचार तथा राष्ट्रीय उत्थान आदि विषयों पर अपने विचार रखे। 26 जनवरी 1938 को दिल्ली से अलवर पधारी पार्वती देवी ने ओजपूर्ण भाषण में सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचना तथा उत्तरदायी सरकार की मांग की[22]। 1 अक्टूबर 1941 को अलवर राज्य में विशाल खादी प्रदर्शनी के आयोजन में सत्यवती देवी ने भाग लिया तथा महिला संघ व खादी भंडार का उद्घाटन भी किया। इस प्रदर्शनी में वनस्थली विद्यापीठ से श्रीमती

रतन शर्मा 15 लड़कियों के साथ अलवर आयी। 2 अक्टूबर का दिन केवल महिलाओं के लिए रखा गया।

पूर्वी राजस्थान में गांधी युगीन चेतना तथा महिलाओं की सहभागिता बहुआयामी थी। बात चाहे प्रजामण्डल में सक्रिय सहभागिता की हो चाहे विभिन्न जन आन्दोलनों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी की। चाहे जेल जाना हो या अन्याय के खिलाफ खडे होना हो। महिलाओं ने पूर्वी राजस्थान में कंधे से कंधा मिलाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करायी है। महिलाएँ पूरी संवेदनशीलता के साथ राष्ट्रीय आन्दोलन से जुड़ी, जिसमें प्रजामण्डल को आभूषण देकर तथा अपनी छोटी–छोटी जमा पूंजी देकर अपनी विशिष्ट सहभागिता प्रदर्शित करना शामिल था।

इस आदोंलन में राजस्थान तथा राजस्थान के बाहर देश के अन्य हिस्सों की महिलाओं से भी समर्थन एवं सहयोग प्राप्त हुआ। अलवर में दिल्ली, अलीगढ, वनस्थली से महिलाएँ आयी तथा सामाजिक जन जागृति व महिला चेतना को विकसित करने में मदद की। इस दौरान महिलाओं की संगठनात्मक शक्ति का अहसास भी हुआ। महिला संघ, नारी जागृति संघ, महिला सत्याग्रही जत्थे, महिला कांग्रेस आदि के रूप में उनकी सक्रिय भागीदारी सहज ही प्रकट होती है।

संदर्भ

[1] शर्मा, जी.एन. सोशल लाइफ इन मेडिविअल राजस्थान (1500–1800) पृ.84–85।

[2] 'डावडी प्रथा'

[3] 'मूसी महारानी की छतरी अलवर'

[4] दी रूलिंग प्रिंसेज, चीफ्स एण्ड लीडिंग परसोनेज इन राजपूताना एण्ड अजमेअर पृ. 31।

[5] यादव संतोष– 19 तथा 20वीं शता. में स्त्रियों की स्थिति, पृ.10

[6] यादव संतोष–19 तथा 20वीं शता. में स्त्रियों की स्थिति पृ. 14–15।

[7] आनंद सागर शोध पत्रिका पृ.47 जुलाई 1976।

[8] यादव संतोष–19 तथा 20वीं शता. में स्त्रियों की स्थिति पृ. 91।

[9] फॉरेन डिपार्टमेण्ट मई 1844 वी.न. 273–280 राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली।

[10] सहाय ज्वाला व काये राजपूताना भाग 2 पृ. 410।

[11] 'अर्जुन' दिनांक 24 अगस्त 1937 ।

[12] यादव संतोष–19 तथा 20वीं शता. में स्त्रियों की स्थिति पृ. 54।

[13] फॉरेन डिपार्टमेण्ट मई 1844 वी.न. 273–280 राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली, नं. 931–101–2।

[14] उपरोक्त 1822–पी, 1929, नवम्बर 1904, नं. 324–325 राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली

[15] मिश्रा एस.सी. नेशलन मूवमेन्ट इन प्रिंसली स्टेट, पृ.20

[16] मिश्रा एस.सी. नेशलन मूवमेन्ट इन प्रिंसली स्टेट, पृ.21

[17] गहलोत जगदीश सिंह पूर्वाक्त पृ. 283।

[18] सहाय ज्वाला एवर लायल भरतपुर पृ 12–13, 28–29 तथा 32–33।

[19] राजपूताना गजेटियर्स–वाल्यूम तृतीय पृ.1

[20] सैसस रिपोर्ट ऑफ करौती स्टेट वर्ष 1931, पृ.81।

[21] यादव संतोष–19 तथा 20वीं शता. में स्त्रियों की स्थिति पृ. 78–79।

[22] फॉरेन डिपार्टमेण्ट मई 1844 वी.न. 273–280 राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली, नं. 8 एस 12 पृ.392 सी.आई.डी. डायरी, रा.स.अ.भि. अलवर।